

7.

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/आर-26/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० आशीष रंजन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजी), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा का प्रभार रहित अवधि दिनांक-16.01.2025 से 15.04.2025 तक को पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

2. प्रस्ताव में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

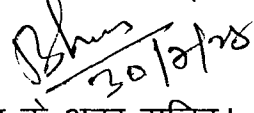
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/आर-26/2025- 1327(2) पटना, दिनांक 31/7/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, छपरा/डा० आशीष रंजन, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजी), राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा/प्रशाखा-3, 9, 18A कोच सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।